



महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय

MAHARSHI PANINI SANSKRIT EVAM VEDIC VISHWAVIDYALAYA

देवास मार्ग, उज्जैन, मध्यप्रदेश - 456010

Email:- regpsvvp@rediffmail.com, Website:- www.mpsvv.ac.in

क्र./म.पा.सं.वि./शोध/कु.स./23/ 4662

उज्जैन, दिनांक 26/12/2023

// अधिसूचना //

विद्यावारिधि (पीएच.डी.) शोध प्रवेश परीक्षा - 2023-24


Vidyavaridhi (Ph.D.) Research Entrance Test (RET- 2023-24)

अधिसूचित किया जाता है कि महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के शोध अध्यादेश क्रमांक 09 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित (एम्.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम 2009, विनियम 2016, विनियम 2018 (प्रथम एवं द्वितीय संशोधन) तथा (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम 7 नवम्बर 2022 के परिपालन में शैक्षणिक/अकादमिक सत्र 2023-24 के लिये शेष रिक्त स्थानों पर अर्हताधारी अभ्यर्थियों से वेद, व्याकरण, ज्योतिष, ज्योतिर्विज्ञान तथा वास्तु, संस्कृत साहित्य, दर्शन, योग तथा सम्बन्धित/सम विषयों में "विद्यावारिधि (पीएच.डी.)" उपाधि हेतु "शोध प्रवेश परीक्षा (R.E.T.) 2023-24" के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से आनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन प्रक्रिया सम्बन्धी विस्तृत विवरण एवं सामान्य नियम निर्देश हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mpsvv.ac.in का अवलोकन करें।

संलग्न :-

1. सामान्य नियम एवं निर्देश,
2. शोध प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम



कुलसचिव

उज्जैन, दिनांक 26/12/2023

क्र./म.पा.सं.वि./शोध/कु.स./23/ 4663

प्रतिलिपि-

1. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय,




[पृ. क्र. 02 पर अनन्तर]

[पृ. क्र. 01 से अनन्तर]

उज्जैन (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं महाविद्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु।

2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं संकाय/विभाग सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु।
3. समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों/संकायों/अध्यापन विभागों के शोध पर्यवेक्षक (शोध निर्देशक), महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
4. कुलपति जी के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन।
5. कुलसचिव कार्यालय, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन।
6. वित्त नियंत्रक/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (वित्त), महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (विद्या/अकादमिक), महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन।
8. समन्वयक (प्रभारी) - परीक्षा/गोपनीय एवं शोध, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन।
9. श्रीमान सम्पादक महोदय, दैनिक समाचार पत्र की ओर निशुल्क समाचार प्रकाशनार्थ सादर प्रेषित।
10. गार्ड फाइल एवं सम्बन्धित पत्रावली।


कुलसचिव



महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय

MAHARSHI PANINI SANSKRIT EVAM VEDIC VISHWAVIDYALAYA

देवास मार्ग, उज्जैन, मध्यप्रदेश – 456010

Email:- regpsvvp@rediffmail.com, Website:- www.mpsvv.ac.in

क्र./म.पा.सं.वि./शोध/कु.स./23/ 4664

उज्जैन, दिनांक 26/12/2023

[संलग्नक : 01]

सामान्य नियम एवं निर्देश

1- विश्वविद्यालय का परिचय :-

मध्यप्रदेश शासन द्वारा संस्कृत भाषा, शास्त्र परम्परा एवं प्राचीन ज्ञान-विज्ञान को संरक्षित करने तथा आधुनिक वैज्ञानिक विधि से अनुसन्धान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से "महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2006" के अनुसार 17 अगस्त 2008 को भगवान् महाकालेश्वर की पुण्य नगरी उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की धारा 2 (F) के अन्तर्गत यह विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त है तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) का भी सदस्य है। इस विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश है। विश्वविद्यालय से कुल 22 शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय सम्बद्ध हैं।

2- विद्यावारिधि (पीएच.डी.) शोध उपाधि का परिचय :-

विद्यावारिधि (पीएच.डी.) उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना "डिग्रियों का विनिर्देशन - मार्च 2024" द्वारा "डॉक्टरल" उपाधि के रूप में विनिर्देशित की गयी है। इसका उपाधि-पत्र संस्कृत भाषा एवं अंग्रेजी भाषा के अनुवाद सहित प्रदान किया जाएगा। यह उपाधि भारत के विधिमान्य विश्वविद्यालयों की पीएच.डी. उपाधि के सामान है। विश्वविद्यालय की स्थापना के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत शोध उपाधि का प्रबन्ध (Thesis) लेखन विश्वविद्यालय की सूचना क्र./म.पा.सं.वि./शोध/कु.स./23/2905, उज्जैन, दिनांक 06/04/2023 अनुसार संस्कृत भाषा में एवं "जिन स्नातकोत्तर

पाठ्यक्रमों में संस्कृत माध्यम की अनिवार्यता नहीं है, ऐसे पाठ्यक्रमों से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण शोधार्थी को अपना शोध प्रबन्ध हिन्दी भाषा में लिखने की अनुमति प्रदान की गयी है। किन्तु उन्हें अपने शोध प्रबंध का दस प्रतिशत भाग/सारांश संस्कृत में लिखना अनिवार्य होगा।

3- पीएच. डी. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदण्ड-

निम्नवत अभ्यर्थी पीएच.डी कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने हेतु पात्र हैं :-

3.1- वे अभ्यर्थी जिन्होंने पूरा कर लिया है -

i). विज्ञापित सम्बद्ध विषय में 4 वर्षीय/8सेमेस्टर स्नातक (शास्त्री/बी.ए. अथवा समकक्ष) उपाधि कार्यक्रम के बाद 1 वर्ष/2 सेमेस्टर स्नातकोत्तर (आचार्य/एम.ए.) उपाधि कार्यक्रम अथवा 3 वर्षीय स्नातक (शास्त्री/बी.ए. अथवा समकक्ष) उपाधि कार्यक्रम के बाद 2 वर्षीय/4सेमेस्टर स्नातकोत्तर (आचार्य/एम.ए.) उपाधि कार्यक्रम अथवा संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष घोषित योग्यताएं, जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है, अथवा एक मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष योग्यता, जो किसी प्राधिकरण द्वारा स्थापित, मान्यता प्राप्त या अधिकृत है, में कम से कम 55% अंकों के साथ या इसके समकक्ष ग्रेड में एक बिंदु पैमाने पर अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित है, जो कि शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)/दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय के अनुसार 5% अंकों अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है।

बशर्ते, 4-वर्षीय/8-सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार के न्यूनतम 75% अंक होने चाहिए या इसके समकक्ष ग्रेड एक पॉइंट स्केल में जहां भी ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)/दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए समय-समय पर आयोग

के निर्णय अनुसार 5 अंकों या ग्रेड में समतुल्य की छूट प्रदान की जा सकती है।

3.2- विज्ञापित सम्बद्ध विषय में एम. फिल. पाठ्यक्रम को कम से कम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अथवा जहाँ कहीं भी प्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहाँ बिंदु मानक पर समतुल्य ग्रेड अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित है, जोकि शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है, से समतुल्य योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी पीएच.डी. कार्यक्रम में नामांकन के लिए पात्र होंगे।

4. कार्यक्रम की अवधि -

4.1- पीएच.डी. कार्यक्रम की अवधि कम से कम तीन (3) वर्ष की होगी, जिसमें पाठ्यक्रम से संबंधित कार्य (कोर्सवर्क) भी शामिल होगा तथा विद्यावारिधि (पीएच.डी.) कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से अधिकतम अवधि छह (6) वर्ष होगी।

4.2- विश्वविद्यालय के सांविधि/अध्यादेश के अनुसार पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम दो (2) वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है बशर्ते, कि विद्यावारिधि (पीएच.डी.) कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि विद्यावारिधि (पीएच.डी.) कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से आठ (8) वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

बशर्ते कि, महिला विद्यावारिधि (पीएच.डी.) शोधार्थियों एवं दिव्यांग व्यक्तियों (40% से अधिक विकलांगता वाले) को दो (2) वर्षों की अतिरिक्त छूट की अनुमति दी जा सकती है, हालांकि, विद्यावारिधि (पीएच.डी.) कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि ऐसे मामले में विद्यावारिधि (पीएच.डी.) कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से दस (10) वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

4.3- महिला शोधार्थियों को विद्यावारिधि (पीएच.डी.) कार्यक्रम की पूरी अवधि में 240 दिनों के लिए अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

5- प्रवेश हेतु चयन प्रक्रिया :-

5.1 - विद्यावारिधि (पीएच.डी.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु लिखित प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसे "शोध प्रवेश परीक्षा" (R.E.T.) 2023-24" कहा जाएगा।

5.2- प्रवेश, यूजीसी और अन्य संबंधित वैधानिक/नियामक निकायों द्वारा जारी किए गए

दिशा-निर्देशों/मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, और केंद्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आरक्षण नीति का पालन करते हुए संस्थान द्वारा अधिसूचित मानदंडों पर आधारित होगा।

5.3- जिन छात्रों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पारम्परिक संस्कृत विषय (कोड-73), संस्कृत (कोड-25) विषय में यूजीसी NET/JRF/SLET/SET, यूजीसी CSIR/CEED और इसी तरह के राष्ट्रीय स्तर के परीक्षाओं में अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों तथा एम्.फिल. उतीर्ण अभ्यर्थियों को "शोध प्रवेश परीक्षा (R.E.T.)" से छूट प्रदान की जायेगी, परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क के साथ निर्दिष्ट समय सीमा में आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा उन्हें साक्षात्कार के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

5.4- बिंदु क्रमांक 5.3 में उल्लिखित के अतिरिक्त अभ्यर्थियों के लिए "शोध प्रवेश परीक्षा" (R.E.T.) 2023-24 के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में 50% प्रश्न शोध पद्धति तथा 50% विशिष्ट (सम्बद्ध) विषय के पूछे जाएंगे।

5.5- प्रवेश परीक्षा में 50% अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के पात्र होंगे।

5.6- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य: पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए प्रवेश परीक्षा में 5% अंकों की छूट दी जाएगी।

5.7- विद्यावारिधि (पीएच.डी.) उपाधि के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले पात्र छात्रों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

5.8- विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों के चयन के लिए, प्रवेश परीक्षा के लिए 70% और साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में प्रदर्शन के लिए 30% का महत्त्व दिया जाएगा।

5.9- "शोध प्रवेश परीक्षा" (R.E.T.) के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mpsvv.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

6- प्रवेश परीक्षा आवेदन शुल्क :-

1. प्रवेश परीक्षा शुल्क - रुपये 2,500/- शब्दों में (दो हजार पाँच सौ रुपये मात्र)
2. प्रवेश आवेदन शुल्क - रुपये 272/- शब्दों में (दो सौ बहत्तर रुपये मात्र)

7- विद्यावारिधि हेतु उपलब्ध स्थान विवरण :-

विद्यावारिधि (Ph.D.) पंजीकरण हेतु सत्र 2023-24 के लिए उपलब्ध स्थानों का विवरण

निम्नानुसार है -

क्र.	विषय	कुल स्थान	अना.	अ.पि.व.	अ.ज.जा.	अ.जा.	EWS
1	वेद	1	0	1	0	0	0
2	व्याकरण	3	1	1	1	0	0
3	ज्योतिष, ज्योतिर्विज्ञान तथा वास्तु * (1)	1	1	0	0	0	0
4	संस्कृत साहित्य *(2)	4	2	1	1	0	0
5	दर्शन *(3)	4	2	1	1	0	0
6	योग *(4)	4	2	1	1	0	0
	कुल योग	17	08	05	04	00	00

* (1) सम्बद्ध विषय में आचार्य अथवा एम.ए. उपाधि धारक छात्र आवेदन हेतु पात्र है। जिन छात्रों के पास दोनों उपाधियाँ हैं वे आवेदन पत्र में स्पष्ट करें कि किस अर्हता दायक परीक्षा के आधार पर वे विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं।

* (2). संस्कृत साहित्य विषय के अंतर्गत संस्कृत साहित्य में आचार्य अथवा एम.ए. संस्कृत उपाधि धारक छात्र आवेदन हेतु पात्र है। जिन छात्रों के पास दोनों उपाधियाँ हैं वे आवेदन पत्र में स्पष्ट करें कि किस अर्हता दायक परीक्षा के आधार पर वे विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं।

* (3) दर्शन विषय में शोध पर्यवेक्षक व्याकरण अथवा संस्कृत साहित्य विषय के होंगे।

* (4) योग विषय में शोध पर्यवेक्षक भारतीय दर्शन अथवा संस्कृत साहित्य विषय के होंगे।

समस्त शोधार्थियों का शोध केन्द्र विश्वविद्यालय का सम्बन्धित संकाय/अध्यापन विभाग ही होगा।

9- शोध पाठ्यक्रम शुल्क: (चयनित होने के उपरान्त देय शुल्क)

1. पंजीयन शुल्क - 7500/- (सात हजार पाँच सौ रुपये मात्र)
2. सुरक्षित निधि (शोध केन्द्र में देय) - 2500/- (दो हजार पाँच सौ रुपये मात्र)
3. प्रतिधारण/शिक्षण शुल्क (छमाही) - 6000/- (छह हजार रुपये मात्र)
4. पुस्तकालय शुल्क (प्रति छह माह) - 1500/- (एक हजार पाँच सौ रुपये मात्र)
5. कोसवर्क शुल्क - 15000/- (पंद्रह हजार रुपये मात्र)
6. शोध प्रबन्ध प्रस्तुतीकरण शुल्क - 10000/- (दस हजार रुपये मात्र)

(अन्य प्रकार के विविध शुल्क विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय - समय पर देय होंगे)।

10- छात्रवृत्ति :-

विद्यावारिधि (Ph.D.) पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त/पंजीयन होने के उपरान्त शोधार्थी अर्हता होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/मध्यप्रदेश शासन/केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई

दिल्ली एवं अन्य छात्रवृत्तियों के लिए विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

11- परीक्षा केन्द्र:-

प्रवेश परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि में विश्वविद्यालय मुख्यालय उज्जैन के परीक्षा केन्द्र में किया जायेगा।

12- विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा विवरण:-

1. प्रवेश परीक्षा में निम्नानुसार दो प्रश्न पत्र होंगे-

प्रथम प्रश्नपत्र - शोध अभियोग्यता - $50 \times 2 = 100$ अंक (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

द्वितीय प्रश्नपत्र - विशिष्ट/सम्बद्ध विषय - $25 \times 2 = 50$ अंक (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

$05 \times 10 = 50$ अंक (विवरणात्मक)

परीक्षा की अवधि - प्रथम प्रश्न पत्र - पूर्वाह्न 11.00 - 12.30

द्वितीय प्रश्न पत्र - अपराह्न 1.30 - 4.00

- प्रवेश परीक्षा में 50 (पचास) प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के पात्र होंगे।
- वरीयता क्रम से चयनित अभ्यर्थी को शोध रुचि/क्षेत्र पर मौखिक चर्चा/ साक्षात्कार हेतु विभागीय शोध समिति (D.R.C.) के समक्ष उपस्थित होकर चयनित विषय पर कम से कम दस मिनट का प्रस्तुतीकरण (P.P.T.) देना होगा।

विभागीय शोध समिति (D.R.C.) निम्न बिन्दुओं पर विचार करेगी -

- क्या अभ्यर्थी में प्रस्तावित शोध के लिए क्षमता है।
- क्या प्रस्तुत शोध कार्य सुलभता पूर्वक विश्वविद्यालय/शोधकेन्द्र में संचालित किया जा सकता है।
- क्या प्रस्तावित शोध के क्षेत्र द्वारा नवीन/अतिरिक्त ज्ञान में योगदान प्राप्त हो सकता है।
- विभागीय शोध उपाधि समिति (DRC) में प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रस्तुत विषय पर शोध प्रारूप तैयार कर शोध उपाधि समिति (RDC) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा शोध उपाधि समिति (RDC) से विषय स्वीकृत होने पर ही पंजीयन किया जा सकेगा।
- स्थान रिक्त नहीं होने की स्थिति में किसी भी प्रकार की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जाएगी।

13-"अन्तःशास्त्रीय शोध" (Inter Disciplinary Research):-

यदि कोई अभ्यर्थी अन्तःशास्त्रीय शोध करने का इच्छुक हो तो वह स्नातकोत्तर स्तर पर जिस शास्त्र का अध्ययन किया गया है उसके आधार पर वह अधीत शास्त्र से सम्बद्ध विषय वर्ग में "अन्तःशास्त्रीय शोध" (Inter Disciplinary Research) करने के लिए भी आवेदन कर सकता है।

14- अत्यावश्यक सूचना :-

1. निर्देशिका में प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी समस्त आवश्यक सूचनाएँ दी गई हैं अतः आवेदन करने से पूर्व समस्त नियमों एवं निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं का सत्यापन प्रवेश परीक्षा एवं प्रवेश के समय किया जाएगा किसी भी प्रकार की सूचना प्रमाणित न होने पर अथवा अपुष्ट सूचना पाये जाने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। एसी स्थिति में प्रवेश परीक्षा से वंचित/प्रवेश पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है।
3. आवेदन पत्र पर अपनी नवीनतम दिनांक सहित स्पष्ट फोटो चस्पा करें। परीक्षा/प्रवेश के समय फोटो एवं हस्ताक्षर के मिलान नहीं होने की स्थिति में परीक्षा से निष्कासन/प्रवेश निरस्तीकरण आदि कार्यवाही की जा सकती है।

15- अन्य आवश्यक निर्देश:-

1. केवल अर्ह अभ्यर्थी ही लिखित प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता के अभाव में इस प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो जाता है तो वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से इसके परिणाम के लिए उत्तरदायी होगा।
2. प्रवेश के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय ही अन्तिम मान्य होगा।
3. न्यायिक विषयों में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इन्दौर खण्डपीठ का क्षेत्राधिकार होगा।
4. किसी भी स्थिति में उत्तर पुस्तिका का पुनःमूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
5. प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

16- परीक्षा सम्बन्धी निर्देश :-

1. प्रवेश परीक्षा हेतु परीक्षार्थी नीला/ काला बालपेन लेकर आएँ।
2. अनुचित साधन का प्रयोग करने अथवा परीक्षा कक्ष की मर्यादा / अनुशासन भंग करने पर विधिक कार्यवाही की जाएगी।
3. परीक्षा भवन में मोबाइल फोन, केलकुलेटर, स्मार्ट घड़ी एवं अन्य उपकरणों को लाना सर्वथा वर्जित है।

3. परीक्षा आरम्भ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल पर पहुंचें।

5. परीक्षा आरम्भ होने के 15 मिनट बाद किसी भी स्थिति में परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

17- प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी प्रमुख तिथियाँ:-

ऑनलाइन आवेदन आरम्भ होने की तिथि -	27.12.2023
ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि -	02.01.2024
प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि -	04.01.2024
	05.01.2024
प्रवेश परीक्षा तिथि -	06.01.2024
परीक्षा समय -	प्रथम प्रश्न पत्र - पूर्वाह्न 11.00 - 12.30 द्वितीय प्रश्न पत्र - अपराह्न 1.30 - 4.00
परीक्षा स्थान -	विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग, उज्जैन

(सूचना :- अन्य समस्त नियम एवं निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2022 (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) अधिनियम के अधीन मान्य होंगे।)


कुलसचिव

क्र./म.पा.सं.वि./शोध/क.स./23/ 4665

उज्जैन, दिनांक 26/12/2023

प्रतिलिपि-

1. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं महाविद्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं संकाय/विभाग सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु।
3. समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों/संकायों/अध्यापन विभागों के शोध पर्यवेक्षक (शोध निर्देशक), महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
4. कुलपति जी के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन।
5. कुलसचिव कार्यालय, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन।
6. वित्त नियंत्रक/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (वित्त), महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (विद्या/अकादमिक), महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन।
8. समन्वयक (प्रभारी) - परीक्षा/गोपनीय एवं शोध, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन।
9. गार्ड फाइल एवं सम्बन्धित पत्रावली।


कुलसचिव